गृह मंत्रालय तथा राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में 4 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है । राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति पर और अधिक 'राशि" का जारी किया जाना निर्भर करता है ।

(ग) मौजूदा निर्देशों के अधीन छूट प्राप्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्राप्तकर्ता राज्य, उन्हें उधार दी गई सशस्त्र पुलिस की उन बटालियनों पर आने वाले व्यय की प्रति-पूर्ति करेंगे । छूट प्राप्त राज्यों के संबंध में भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना होता है और यह कि नियमित रूप से किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश पुलिस को अन्य राज्यों में तैनाती

1796. **श्री अजीत जोगी :**
श्री छोटूभाई पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कितनी वाहिनियों को केंद्रीय सरकार के निर्देश पर देश के अन्य राज्यों में तैनात किया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केंद्रीय सरकार से अन्य राज्यों में वाहिनियों की तैनाती पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) किन-किन राज्यों में तैनात की गई वाहिनियों पर हुए व्यय की प्रति-पूर्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जानी है ; और

(घ) क्या सरकार ने यह निर्देश जारी किए हैं कि यदि केंद्र के निर्देश पर राज्य-सरकार की पुलिस वाहिनियां अन्य राज्यों में तैनात की जाती हैं, तो संबंद्ध राज्य को तिमाही 25 लाख रुपए की राशि का अग्रिम भुगतान किया जाए, यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की वाहिनियों की तैनाती के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों का पालन किया जा रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजेश पायलट : (क) केंद्र सरकार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश एस.ए.एफ. की 4 बटालियनों (इंडिया रिजर्व की 2 बटालियनों सहित) को राज्य से बाहर तैनात किया गया है ।

(ख) जी, हां, श्रीमान । हालांकि सामान्यतः बल उधार मांगने वाले राज्य को, बल देने वाले राज्य को प्रतिपूर्ति करनी होती है, केंद्र सरकार द्वारा चूक करने वाले राज्यों को दी जाने वाली राशि में मध्य प्रदेश सरकार को देय बकाया राशि की वसूली के लिए समाधिकारी कार्रवाई की जाती है । चूक करने वाले राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय राशि से कटौती करके मध्य प्रदेश सरकार को 391.50 लाख रु. की राशि का भुगतान किया गया है ।

(ग) शून्य ।

(घ) मार्च, 1989 में अनुदेश जारी किए गए थे कि बल उधार मांगने वाले राज्य, ऋण पर उन्हें दिए गए सशस्त्र पुलिस बटालियनों पर हुए व्यय की प्रति-पूर्ति प्रति बटालियन, प्रति सिपाही 25 लाख रु की दर से तिमाही आधार पर करेंगे । यह उम्मीद थी कि सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन अनुदेशों का पालन करेंगे । तथापि यह देखा गया कि असम राज्य, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान नहीं कर

रहे हैं । असम राज्य और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को इन अनुदेशों का पालन करने की सलाह दी गयी है ।

Child Marriages in Rajasthan

1797. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) wheher it is a fact that child marriages are still being solemnised in many districts of Rajasthan;

(b) whether in recent months in majority of villages in the districts of Alwar, Jaipur Dausa Tonk; Sawwaimadhopur; Bundi and Kota child marriages were held and police party and teams of anti child marriage women organisations were not allowed to enter those villages; and

(c) if so, what measures Government have taken or likely to take to strictly enforce the Sharda Act in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) Registration investigation detection and prevention of crimes including the crime of child marriage is a responsibility of the concerned State Government. It is for the Government of Rajasthan to take neces sary steps to curb this evil practice in that State.

(c) Media support has been provided for creating an environment to discourage child marriages. Enforcement of the Child Marriage (Restraint) Act is being done by the Government of Rajasthan.

राज्यों के बीच भूमि-संबंधी विवाद

1798. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भूमि-संबंधी विवाद चल रहा है;

(ख) इन विवादों में फंसी भूमि किन स्थानों पर अवस्थित है और उसका क्षेत्रफल कितना-कितना है, और

(ग) सरकार द्वारा इन विवादों का शीघ्र निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । (**नीचे देखिए**) ।

(ग) राज्यो के बीच सीमा-विवादों को संबंधित राज्य सरकारों के इच्छुक सहयोग द्वारा ही निपटाया जा सकता है और, इस दिशा में, केन्द्र सरकार सभी संभव सहायता संबंधित राज्यों को देती है ।

विवरण

अन्तर्राज्यीय सीमा-विवाद

(i) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा-विवाद

महाराष्ट्र राज्य ने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित 814 गांवों तथा कर्नाटक राज्य ने 528 गांवों पर दावा पेश किया है ।

(ii) पंजाब हरियाणा सीमा-विवाद

यह विवाद "पंजाब पुनर्गठन अधिनियम" से उत्पन्न है ।

(iii) कर्नाटक-केरल सीमा विवाद

कर्नाटक द्वारा केरल-स्थित कसारगोड तालुक के एक हिस्से पर किए गए दावे पर यह विवाद केन्द्रित है ।

(iv) असम-नागालैंड सीमा विवाद

असम के 8000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर नागालैंड दावा करता है ।

(v) असम-मेघालय सीमा विवाद

असम और मेघालय के बीच विवाद नौगांव सैक्टर में खासी पहाड़ियों कामरूप